1	2	3	4	5	6	7
	हापावास	चित्तौड़गढ़	श्री भूरा पिता भैरू 1/4 रता रामा पिता नोला 1/2 हि. ब. नानू भंवरू शंभु डालू पिता हरलाल 1/4 हि. ब. रावत सा. देह	105	1 15	भू. रे.
			श्री ऊंकार पिता वीरमा डांगी, सा. देह	137	2 05	भू. रे.
					5 00	
			बिलानाम सरकार	139	1 01	
			महफूज दरख्त	58/1	3 12	
					4 13	
			कुल योग हापावास ग्राम		9 13	
2.	फतहगढ़	चित्तौड़गढ़	श्री छोगा पिता रामा, मेतो पिता जालू, बालू पिता वेणा डांगी, सा. देवरी	90	– 16	
			कुल योग ग्राम फतहगढ़		– 16	

राज्यपाल की आज्ञा से,
बी. के. शर्मा,
उप शासन सचिव, अधीक्षण अभियन्ता एवं
प्रावैधिक सहायक, वास्ते मुख्य अभियन्ता
सिंचाई, राजस्थान, जयपुर।

शुद्धि-पत्र

राजस्थान राज-पत्र, विशेषांक, भाग 1(ख), दिनांक 10-1-1983 में प्रकाशित गृह (ग्रुप-7) विभाग की अधिसूचना संख्या प. 8(3) गृह-7/81, दिनांक 4-1-83 को निम्नानुसार शुद्ध पढ़ा जावे :----

(i) पृष्ठ संख्या 234 में ग्राम मनोहरपुरा में खसरा नं. 261 के सामने कालम संख्या 7 में शब्द 'तेजा, लल्लू, लिछमीनारायण, रामेश्वर' के पश्चात् शब्द 'गोपालकंवर, बेवा रामसिंह' न पढे जाएं।

(ii) पृष्ठ संख्या 235 में ग्राम बाढ़ टीलावाला में खसरा नं. 81 व 83 के सामने कालम संख्या 7 में शब्द 'ओरियालाला' के स्थान पर शब्द 'ओरिया लाला' पढे जाएं।

राजस्व (ग्रुप-8) विभाग

अधिसूचनाएं

जयपुर, फरवरी 5, 1983

संख्या एफ. 11 (44) राज-8/81:---वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 53) जो कि भारत सरकार कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) की अधिसूचना सं. 4-11014/3/73/एफ. आर. वाई./डब्ल्यू. एल. एफ. दि. 1 सितम्बर, 1973 से राजस्थान राज्य पर लागू किया जा चुका है की धारा 18 के उपबंधों के अधीन राज्य सरकार निम्न अनुसूची में वर्णित सीमाओं के अन्तर्गत आने वाली चित्तौडगढ़ जिले की भूमियों को, उनकी परिस्थिति व प्राणिजातीय, वनस्पतिक भू-संरचना संबंधित नैसर्गिक एवं प्राणीशास्त्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए एतद्द्वारा वन्य जीव अभयारण्य घोषित करती है, जिसे भविष्य में भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभयारण्य के नाम से जाना जावेगा एवं जो उक्त अधिनियम या तद्धीन बनाये गए नियमों या जारी किए गए आदेशों के उपबंधों का विषय होगा।

अनुसूची

भैंसरोडगढ़ अभयारण्य की सीमाओं का विवरण

उत्तर:---ब्राह्मनी नदी, ग्राम लोटियाना, श्रीपुरा, भैंसरोडगढ़।

पूर्व:—जवाहर सागर डेम का डूब का पानी चम्बल नदी ग्राम भवानीपुरा राणा प्रताप सागर डेम, के डूब के पानी तक।

दक्षिण:---वन खंड रोछोखोह रेंज कुआखेडा की सीमा व राणा प्रताप सागर डेम का पानी और वन खंड गोल-डूंगरी रेंज कुआ खेड़ा की सीमा तथा वन खंड नोमजी की सीमा ग्राम प्रेमपुरा व दरोआ।

पश्चिम:—वन खंड नीमडी व जावदा को कामन लाइन और जावदा से मंडेसरा जाने वाली फोरेस्ट रोड ग्राम आगरा, नारायणपुरा, उदयपुरा, गणेशपुरा, दूदी तलाई और जोटो सीट मरकेज में 484 के उत्तर से डिमारकेशन लाइन वन खंड कोलगढ़ की सीमा ग्राम कुटवाल खालभाव, मण्डेसरा के पास सडक फोरेस्ट रोड वन खंड बाडरमता के ओर से होती हुई [illegible] पास बाह्मनी नदी से मिली है।

जयपुर, फरवरी 5, 1983

संख्या एफ. 11 (23) राज-8/82:---वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (केन्द्रीय अधिनियम 53) जो कि भारत सरकार, कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) की अधिसूचना